NCRPS No. 5486/2019

दिनांकः 12.0.32019

संः 797-ई / पालिसी / 2018 / Deputation

अपर महाप्रबंधक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष / उमरे / इलाहाबाद । विर. उप महाप्रबन्धक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । मु.प्रशा.अधि / निर्माण / उ.म.रे. / इलाहाबाद । चेयर मैन / आर. आर.सी. / उ.म.रे. / इलाहाबाद । उप मु.का.अधि. / राज / आई.टी. / मुख्या / उ.म.रे. / इलाहाबाद । विर.का.अधि. / राज / आई.आर. / मुख्या. / उ.म.रे. / इलाहाबाद । मंडल रेल प्रबन्धक / कार्मिक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । विर. का.अधि. / राज / आई.आर. / मुख्या / उ.म.रे. / इलाहाबाद । मंडल रेल प्रबन्धक / कार्मिक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । आगरा एवं ऑसी । मुख्य कारखाना प्रबन्धक / उ.म.रे. / रेल रिप्रंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर) । उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक / उ.म.रे. / ऑसी । उप मु.अभि / सीपीओएच / उ.म.रे. / इलाहाबाद । उप मु.अभि. / सीएसपी / उ.म.रे. / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य—सिविल ट्रेनिंग सेन्टर / उमरे / कानपुर । प्रधानाचार्य—सुपरवाई जरस ट्रेनिंग सेन्टर / उ.म.रे. / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य — सेविक ट्रेनिंग सेन्टर / उमरे / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य — बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर , तमरे / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य — बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर , सी एण्ड डब्लू / उमरे / झॉसी । प्रधानाचार्य — बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर , सी एण्ड डब्लू / उमरे / कानपुर । प्रधानाचार्य — वेसिक ट्रेनिंग सेन्टर , सी एण्ड डब्लू / उमरे / कानपुर । प्रधानाचार्य — परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर / उमरे / झॉसी । प्रधानाचार्य — सलेक्ट्रक , ट्रेनिंग सेन्टर / टीआरडी / झॉसी । प्रधानाचार्य — इलेक्ट्रक ट्रेनिंग सेन्टर , कानपुर । मु. प्रधानाचार्य — इलेक्ट्रक , ट्रेनिंग सेन्टर , टीआरडी / झॉसी । प्रधानाचार्य = इलेक्ट्रक ट्रेनिंग सेन्टर , कानपुर । मु. प्रधानाचार्य सलेक्टर / टीआरडी / झॉसी । प्रधानाचार्य = इलेक्ट्रक ट्रेनिंग सेन्टर , कानपुर । मु. प्रधानी / टी.एम. सी. / लाईन / झॉसी । व.स.वि.स / कैश एवं पे / उमरे / इलाहाबाद ।

Sub: Tenure of Deputation of Non-Gazetted staff of Railways in Railway PSUs and Autonomous bodies-Clarification regrding.

Ref: Railway Board letter no. E(NG)I/2018/DP/25 dated 31.01.2019

उपरोक्त संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E (NG)I/2018/DP/25 दिनांक 31.01.2019की प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त।

(V.P.Singh)
SPO/HQ

For General Manager/P

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यकः कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक / कैंडर / अराज एवं राज / उमरे / इलाहाबाद।
- 2. कार्यालय अधीक्षक / यूनियन सेल / उमरे / इलाहाबाद।
- 3. कार्यालय अधीक्षक / गोपनीय अनुभाग / उमरे / इलाहाबाद।
- 4. महामंत्री, एन सी आर ई एस / उमरे / इलाहाबाद।
- महामंत्री, एन सी आर एम यू/उमरे/इलाहाबाद।
- 6. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए/उमरे/इलाहाबाद।
- महामंत्री एस सी / एस टी एशोसियेशन / उमरे / इलाहाबाद ।
- महामंत्री ओबीसी एशोसियेशन / उमरे / इलाहाबाद।

15/03/19

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2018/DP/25

New Delhi, dated 3 | .01.2019

The CMDs/MDs, PSUs & NHSRCL,

The Managing Director, CRIS. Chanakyapuri New Delhi - 110021

The Vice Chairman, RLDA. Near Safdarjung Railway Station, Moti Bagh-1, New Delhi - 110021.

> Tenure of Deputation of Non Gazetted staff of Railways in Railway Sub: PSUs and Autonomous bodies - clarification regarding.

Kindly refer to Board's letter of even number dated 30.10.2018 vide which DOPT's OM No. 2/6/2018-Estt.(Pay-II dated 18.05.2018 circulated under Board's letter No. F(E)II/2018/Dep./1(1)/1 dated 26.06.2018 specifying that the initial deputation tenure for non-gazetted railway servants would henceforth be five years and advising PSUs to provide for the same by suitable amendment of Recruitment Rules.

Queries have been raised from some PSUs as to how the deputation tenure of nongazetted railway servants who are already on deputation (on 3 year initial tenure) should be treated. It is clarified that, in all such cases where non-gazetted Railway servants were sent on deputation as per prevailing terms and conditions, proposals for extension of deputation, wherever considered required, beyond 3rd year/4th year, should continue to be sent to Railway Board for approval of Competent Authority.

59.

(S. Balachandra Iyer) Executive Director Estt.(N)

Railway Board. Copy to:- The General Managers (P), All Zonal Railways & Production Units:- Railways are once again advised to monitor deputation tenures of staff deputed to PSUs and ensure their recall in time. The tenure period/date of repatriation to parent cadre may be indicated in the

initial relieving order itself. प्र0 मुकाधि0 मकाधित (प्रशात) मुकाधि (आई० भार०) उप मुकाधि० (राज०) उप मकाधि० (नुख्या०) उप मुकाधि० (आई०: अध्यक्ष/रे०म०प्र० प्र0 का0 अधि0 (राज) प्र0 का0 अधि0 (औवसंव) प्रवकाव अधिव (मुख्याव)

सकाधि० (आई०आर०)

(S. Balachandra Iver) Executive Director Estt.(N) Railway Board.